संख्या- 16/682/तीस-4-2018-06(सा0)/18

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
२. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
३. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2018

विषय- प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई- सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा परिवहन विभाग की सेवाओ को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सेवाएं सम्मिलित है, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

2- वर्तमान में प्रदेश के परिवहन कार्यालयों मेंWeb Based VAHAN 4.0 / SARATHI 4.0 Integrated Application System क्रियाशील है। VAHAN 4.0 (https://parivahan.gov.in/vahanservice) एवं SARATHI 4.0 (https:// parivahan.gov.in/sarathiservice) पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग की निम्न सेवाओं में आम जनमानस को आनलाइन आवेदन एवं फीस पेमेन्ट की सुविधा उपलब्ध है ।

सेवा वर्ग	क्र0सं0	सेवा का नाम	
वाहन सम्बन्धी	1	Duplicate Registration Certificate	पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति
	2	Transfer of Ownership	स्वामित्व हस्तांतरण
	3	Change of Address in RC	पता परिवर्तन
	4	NOC	अनापत्ति प्रमाण पत्र
	5	Hypothecation Addition	हाइपोथिकेशन पृष्ठांकन
	6	Hypothecation Cancellation	हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण
	7	Hypothecation Continuation	हाइपोथिकेशन जारी रखना
	8	RC Particulars	पंजीयन प्रमाण पत्र पर्टिकुलर
	9	New Permit	नया परमिट
	10	Duplicate Permit	परमिट की द्वितीय प्रति
	11	Renewal of Permit	परमिट नवीनीकरण
	12	Temporary Permit	अस्थायी परमिट
	13	Special Permit	विशेष परमिट

	14	Renewal of Authorization of National Permit/All India Permit	नेशनल परमिट/ आल इण्डिया परमिट के आथराइजेशन का नवीनीकरण
ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धी	1	New Learning License	नया शिक्षार्थी लाइसेंस
	2	New Driving License	नया ड्राइविंग लाइसेंस
	3	Duplicate Driving License	ड्राइविंग लाइसेंस की द्वितीय प्रति
	4	Renewal of Driving License	ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण
	5	Change of Address in DL	पता परिवर्तन
	6	Endorsement of Another Class of Vehicle	अन्य वाहन वर्ग का पृष्ठांकन
	7	Replacement of DL	ड्राइविंग लाइसेंस प्रतिस्थापन
	8	International Driving Permit	अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
	9	Conductor License	परिचालक लाइसेंस
	10	Duplicate Conductor License	परिचालक लाइसेंस की द्वितीय प्रति

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उपयुक्त प्रस्तर- २ में इंगित परिवहन विभाग की आनलाइन सेवाओं को ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से इन्टीग्रेट कराते हुए आम जनमानस को उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उक्त चयनित सेवाओं में से वाहन से सम्बन्धित १४ सेवाएं एनआईसी की तकनीकी टीम द्वारा ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कर दी गयी है तथा ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बन्धित सेवाओं के इंटीग्रेशन की कार्यवाही गतिशील है। ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स द्वारा पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जाएगी, ताकि गो-लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अतः ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से परिवहन विभाग की वाहन सम्बन्धी 14 इन्टीग्रेटेड सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-

(i) उक्त सेवाओं को आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेन्टर्स यथा- जन सेवा केन्द्रों / लोकवाणी केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों/ जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) अधिकृत केन्द्रों की सूची कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे परिवहन विभाग की वेबसाइट (uptransport.co.in) पर जन सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं/व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जाएगी।

(iv) आवेदक के अनुरोध पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग के पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया तथा फीस भुगतान की व्यवस्था अनुपालन किया जाएगा एवं परिवहन विभाग के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित फीस धनराशि को उसी वेब पोर्टल से लिंक्ड स्टेट बैंक आफ इण्डिया के आनलाइन बैंकिंग पोर्टल www.onlinesbi.com का प्रयोग कर राज्य सरकार के खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

(v) किसी आवेदन की प्रक्रिया को "पूर्ण" (complete) तब माना जाएगा जब परिवहन विभाग के वेब पोर्टल से उस आवेदन के सापेक्ष फीस की धनराशि की ई-रसीद जेनरेट कर दी जाये।

(vi) यूजर चार्जेज : प्रत्येक सफल ट्रान्जेक्शन पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आवेदनकर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज रू 20/- (बीस मात्र सभी कर सहित) का शुल्क लिया जाएगा तथा कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा तत्सम्बन्धी प्राप्ति रसीद आवेदनकर्ता को दी जाएगी।

(vii) अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

(viii) कॉमन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली परिवहन विभाग की सेवाओं के सापेक्ष देय गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अथवा कोई अन्य शुल्क का वहन कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा स्वयं किया जाएगा, परिवहन विभाग पर इसकी कोई देयता नहीं होगी।

(ix) आवेदकों की जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा अपने सभी अधिकृत केन्द्रों पर आवेदन की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, यूजर चार्जेज का विवरण तथा आवेदक को कॉमन सर्विस सेन्टर्स के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रपत्रों (यथा- आनलाइन आवेदन की प्रिन्टेड प्रति, भुगतान की गयी फीस की ई-रसीद, कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा रू 20/- की प्राप्ति रसीद) का विवरण उचित स्थान पर प्रदर्शित कराया जाएगा।

5- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रॉसेस किया जाएगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रॉसेस कर रहे हैं।

6- उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/682(1)/तीस-4-2018-06(सा0)/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई- गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. श्री जॉयदीप शोम, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, हेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली।
7. स्टेट इन्फार्मेटिक्स ऑफसर, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड, एस ई एम टी, उत्तर प्रदेश।
9. अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी/मध्य/पश्चिमी/सड़क सुरक्षा व आईटी), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
12. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जिन्नूरैन अहमद खाँ)
विशेष सचिव।